भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय,

अभिलेख सं0–टी0 ए0 मिस वाद सं0– 184A/2018–19

केस का प्रकार–(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

भूवन हेम्ब्रम ....आवेदक / विक्रेता

बनाम

राधिका लोवादा..................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
16.12.19		

विक्रेता :– भूवन हेम्ब्रम पिता काण्डे हेम्ब्रम, ग्राम–पोड़ाडिहा, थाना–सरायकेला जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड),जाति–हो।

क्रेता :– राधिका लोवादा पिता चम्पा सोय, ग्राम–बड़ाकांकड़ा, थाना–सरायकेला जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड), जाति–हो।

विक्रेता द्वारा दिनांक 03.11.018 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता राधिका लोवादा पिता चम्पा सोय, ग्राम–बड़ाकांकड़ा, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
पोड़ाडीह	259	45	115	0.12½ए0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 46 दिनांक 11.01.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पिताजी एवं अन्य के नाम से दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा–2.70 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक थाना एवं जाति–'हो' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

लगातार..................2

न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता भूवन हेम्ब्रम पिता काण्डे हेम्ब्रम, ग्राम–पोड़ाडिहा, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला– खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता भूवन हेम्ब्रम पिता काण्डे हेम्ब्रम, ग्राम–पोड़ाडिहा, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–0.12½ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

16/12/19
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

लेखापित,

16/12/19
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।